


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>शाबर बनाम दिव्या वर्मा हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज ५० पृष्ठ अस्थाई निषेध. क्र.नं. - 245/14</p>
<p>16.11.2022</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी मय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील प्रार्थी एवं पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थी एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">   ( दिलीप सिंह )  उपखण्ड अधिकारी  श्रीमाधोपुर (सीकर) </p>